झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

पत्रांक–03/कृ0रा0यो0–15/2024 – 91 /कृ., राँची, दिनांक : 30-12-2024

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी., भा.प्र.से.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : वित्त (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार) विभाग।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजनान्तर्गत आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट योजनान्तर्गत जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज में चाहरदीवारी गेट सहित एवं गार्ड रूम के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू. 42.8925 लाख (बयालिस लाख नवासी हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र पर अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, दुमका से प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन पर प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट के निर्माण की योजनान्तर्गत जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज में चाहरदीवारी गेट सहित एवं गार्ड रूम का निर्माण आदि का कार्य किया जाना है।

2. उक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजनान्तर्गत आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट योजनान्तर्गत जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज में चाहरदीवारी गेट सहित एवं गार्ड रूम के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू. 42.8925 लाख (बयालिस लाख नवासी हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र पर अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, दुमका से प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन पर प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका अवयववार विवरणी निम्नप्रकार है :–

क्र0	कार्य का नाम	राशि लाख रू. में
1.	Construction of Boundary Wall with Gate and Guard Room at District Agriculture Office, Sahebganj	42.89250

3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नवर्णित बजटशीर्ष के अंतर्गत की जायेगी -

(राशि लाख रू. में)

क्र.	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्यशीर्ष-4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-12-आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण, विस्तृतशीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य (01S44010079612000545)	42.8925
	कुल योग	**42.8925**

(बयालीस लाख नवासी हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. उक्त जीर्णोद्धार कार्य के प्राक्कलित राशि पर अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, दुमका के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।

6. योजनान्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, साहेबगंज होंगे तथा किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

7. उक्त कार्य स्वीकृत्यादेश निर्गत तिथि से छः माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज होंगे तथा राशि की एकमुश्त निकासी करते हुए कार्यान्वयन एजेंसी के डिपोजिट शीर्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किया जायेगा। तदनुसार राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

9. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त कार्य योजना के अनुसार किया जाएगा। स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग एवं विचलन अथवा अनियमित निकासी एवं व्यय होने पर संबंधित कार्यकारी एजेंसी सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे।

10. निर्माण कार्य में लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, दुमका योजना का अनुश्रवण नियमानुसार करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा त्रैमासिक कार्य का प्रगति प्रतिवेदन कृषि निदेशक/विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्तीय नियमावली/कोषागार नियमावली तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश/परिपत्रों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना सं0-1269 दिनांक-21.09.2023 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा रही है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :03/कृ0रा0यो0-15/2024 - 91 **/कृ., राँची, दिनांक :** 30-12-2024

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त, साहेबगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :03/कृ0रा0यो0-15/2024 - 91 **/कृ., राँची, दिनांक :** 30-12-2024

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, साहेबगंज को प्राक्कलन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :03/कृ0रा0यो0-15/2024 - 91 **/कृ., राँची, दिनांक :** 30-12-2024

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि कार्य का अनुश्रवण नियमित रूप से करते हुए प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज को उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :03/कृ0रा0यो0-15/2024 - 91 **/कृ., राँची, दिनांक :** 30-12-2024

प्रतिलिपि : विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड, राँची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/संयुक्त कृषि निदेशक, दुमका/जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाई/योजना शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची (10) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।